

जनसम्पर्क संचालनालय के टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस
रिटर्न संबंधी कार्यों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवा हेतु

निविदा आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक— 3558

नवा रायपुर, दिनांक—11 / 07 / 2022

// निविदा प्रपत्र //

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 500 /— (वापसी योग्य नहीं)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.08.2022 समय अपरान्ह 3:00 बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.08.2022 समय सायं 4:00 बजे



जनसंपर्क संचालनालय

छत्तीसगढ़, रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771—2221614

Web :- www.dprcg.gov.in & www.cg.nic.in/dpr



जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-2511422

Web :- www.dprcg.gov.in & www.cg.nic.in/dpr

निविदा क्रमांक 3558

नवा रायपुर, दिनांक : 11/07/2022

जनसम्पर्क संचालनालय के टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस रिटर्न संबंधी
कार्यों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सेवा हेतु
निविदा आमंत्रण सूचना

जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा समय-समय पर विभिन्न फर्मों के देयकों में टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस कटौती किया जाता है। साथ ही संचालनालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन में से नियमानुसार टीडीएस कटौती किया जाता है। टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस रिटर्न संबंधी कार्यों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों की सेवा हेतु प्रस्ताव, अनुभव संबंधित दस्तावेज एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- का जनसम्पर्क संचालनालय रायपुर के नाम से देय डी.डी. एक लिफाफा में एवं पृथक बंद लिफाफा में निर्धारित वित्तीय प्रस्ताव प्रारूप में वित्तीय दर आमंत्रित की जाती है।

जनसंपर्क संचालनालय के नवा रायपुर स्थित कार्यालय में कार्यों का अवलोकन कर निर्धारित प्रारूप में वित्तीय प्रस्ताव जमा किया जा सकता है। वित्तीय प्रस्ताव प्रारूप जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट www.cg.nic.in/dpr या www.dprcg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 500/- (वापसी योग्य नहीं)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.8.2022 समय अपरान्ह 3:00 बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.8.2022 समय सायं 4:00 बजे

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर

**जनसम्पर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर**

**जनसम्पर्क संचालनालय के टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस रिटर्न संबंधी
कार्यों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सेवा हेतु
नियम एवं शर्तें**

1. जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर कार्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न फर्मों के देयकों में से कटौती किए गए टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस तथा अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में से कटौती किए गए टीडीएस संबंधी रिटर्न जमा करने एवं आयकर तथा जीएसटी विभाग द्वारा किसी प्रकार की जानकारी/नोटिस प्राप्त होने पर समाधान कारक जवाब तैयार करने, डाटा उपलब्ध कराने एवं समाधान हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म की सेवा लेने बाबत निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों की सेवा हेतु प्रस्ताव, अनुभव संबंधित दस्तावेज एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- का संचालनालय जनसम्पर्क संचालनालय रायपुर के नाम से देय डी.डी. एक लिफाफा (लिफाफा के उपर टेक्निकल बिड लिखा जाना है) एवं पृथक बंद लिफाफा में निर्धारित वित्तीय प्रस्ताव प्रारूप में वित्तीय दर आमंत्रित की जाती है।
3. टेक्निकल बिड लिफाफा में पैन कार्ड, ICAI Constitution Certificate एवं जीएसटी पंजीयन होने की स्थिति में जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (जीएसटी पंजीयन अनिवार्य नहीं है) जमा किया जाना है।
4. चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म का कार्यालय अथवा शाखा छत्तीसगढ़ राज्य में होना अनिवार्य है।
5. जनसंपर्क संचालनालय के नवा रायपुर स्थित कार्यालय में टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस संबंधी कार्यों/ वाउचर एन्ट्री का अवलोकन कर निर्धारित प्रारूप में वित्तीय प्रस्ताव जमा किया जा सकता है।
6. न्यूनतम फीस पर न्यूनतम दर कोट करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म को सेवा हेतु चयन किया जाएगा।
7. कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम दर पर अनुमोदित कुल फीस का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि के साथ सेवा अवधि में वृद्धि का अधिकार संचालक/आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय के पास सुरक्षित रहेगा।
8. सेवा हेतु चयनित सी.ए. फर्म को जनसम्पर्क संचालनालय के रिटर्न हेतु आवश्यक प्रारूप में रिकार्ड संधारण हेतु संचालनालय के कर्मचारी को मार्गदर्शन एवं सुझाव देना होगा। इस हेतु प्रतिनिधि को प्रत्येक माह आवश्यकतानुसार संचालनालय में विजिट करना होगा।
9. जनसम्पर्क संचालनालय को आयकर एवं जीएसटी विभाग से किसी प्रकार की नोटिस/ जानकारी मांगे जाने पर आवश्यक जानकारी एवं नोटिस का जवाब तैयार कर समाधान करने का दायित्व सेवा हेतु चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म का होगा।
10. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत न्यूनतम फीस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

11. कुल वार्षिक फीस का भुगतान अनुपातिक रूप से त्रैमासिक दर पर इन्वॉइस प्रस्तुत करने के बाद किए जाएगा। जीएसटी पंजीकृत फर्मों को अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय के द्वारा किया जाएगा।
12. फर्म को कर निर्धारण वर्ष 2021–22 के आयकर रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर

(सी.ए. फर्म्स के लेटर हेड में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना है)

जनसम्पर्क संचालनालय के टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस रिटर्न संबंधी
कार्यों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सेवा हेतु
निविदा वित्तीय प्रस्ताव

क्र.	विवरण	वार्षिक फीस (जीएसटी अतिरिक्त)
1	विभिन्न फर्मों, वेंडर्स के देयकों में से कटौती किए गए टीडीएस संबंधी रिटर्न्स एवं जनसम्पर्क संचालनालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन में से कटौती किए गए टीडीएस संबंधी रिटर्न्स बाबत एकमुश्त फीस	
2	विभिन्न फर्मों, वेंडर्स के देयकों में से कटौती किए गए जीएसटी टीडीएस संबंधी रिटर्न्स बाबत एकमुश्त फीस	
कुल फीस		

- टीप:-
- उपरोक्त वार्षिक एकमुश्त वित्तीय दर में सभी व्यय शामिल है, जीएसटी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - आयकर टीडीएस एवं जीएसटी विभाग द्वारा किसी प्रकार की जानकारी मांगी जाने पर समाधान कारक जवाब उपलब्ध कराया जाएगा। जवाब तैयार करने एवं समाधान करवाने हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - उपरोक्त दोनों एकमुश्त वित्तीय दर की कुल योग में से न्यूनतम दर पर न्यूनतम दर वाले फर्म की सेवा ली जाएगी। वार्षिक फीस का भुगतान अनुपातिक रूप से त्रैमासिक किया जाएगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर
(सी.ए. फर्म्स की सील-मुद्रा सहित)

नाम एवं पूरा पता.....

.....

मेम्बरशीप नंबर

मोबाईल नंबर